प्रेषक,

संख्या 2769 /38-3-2001-500(161/2000

रमेन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक :: 18 अगस्त, 2001

विषय :- विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के नवीन प्रस्तर 1.3 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1616/38-3-2001-500(161/2000 दिनांक 26 अप्रैल, 2001 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके प्रस्तर-1 के मार्गदर्शी सिद्धान्त में 1.3 का नया प्रस्तर जोड़े जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर 1.3 में उल्लिखित " विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर भी ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु प्रति वर्ष रू0 5.00 लाख तक की धनराशि के कार्यों की संस्तुति कर सकते हैं, जो प्रदेश के किसी भी भाग में गम्भीर आपदा की स्थिति में पुनर्वास उपायों के लिए विधायक विकास निधि योजना के अन्तर्गत अनुमेय है " के स्थान पर " विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर भी ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु प्रति वर्ष रू0 5.00 लाख तक की धनराशि के कार्यों की संस्तुति कर सकते हैं, जो प्रदेश के किसी भी भाग में गम्भीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पुनर्वास उपायों के लिए विधायक विकास निधि योजना के अन्तर्गत अनुमेय हैं " को पढ़ा जाय।

तदनुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा शासनादेश संख्या-1616/38-3-2001-500(161/2000 दिनांक 26 अप्रैल, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(रमेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

.....2/.....

संख्या-2769 [1]/38-3-2001 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0, शासन।
5- विधान मण्डल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण।
6- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- मा0 मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के सूचनार्थ उनके निजी सचिव को।
9- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
10- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0।
11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

[1] रमेन्द्र त्रिपाठी [1]
विशेष सचिव।